

3-10-23

पत्रावली अस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट्स  
अनुपस्थित। अपीलान्ट्स किलाराम कौरह  
स्वयं अनुपस्थित। अभिभाषक रेस्पोंडेन्स  
श्री महावीर शर्मा उपस्थित। अभिभाषक  
अपीलान्ट्स एवं अपीलान्ट्स किलाराम कौरह  
को रुक-रुक कर आवाज लगावाई गई  
बावजूद आवाज के वे न तो स्वयं उपस्थित  
आये और न ही उनकी ओर से कोई  
वैधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। अतः  
यह पत्रावली अदम दायरी अदम चैरबी  
में खारिज की जाती है। आदेश की  
प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय  
का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली  
नम्बर से कम हो। पत्रावली काट  
तरतीब तकमिल दाखिले दफ्तर हो।  
आदेश खुले न्यायालय के सुनाया गया।

अतिरिक्त सहायी आयुक्त  
बीकानेर